DUTY (1)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 2493-एफ-3-02-2011-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

[देखिये धारा 3 (1)]

भाग-क

नीचे दर्शित प्रयोजनों के लिए बेची गई/प्रदाय की गई विद्युत्

निम्नदाब उपभोक्ता

अनुक्रमांक	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभुक्त विद्युत् (यूनिट में)	प्रतिमाह विद्युत की प्रति यूनिट टैरिफ की प्रतिशत में शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
		निम्नदाब उपभोक्ता	
1.	घरेलू उपभोक्ता	100 यूनिट तक	9
		100 यूनिट से अधिक	12
2.	गैर-घरेलू उपभोक्ता	50 यूनिट तक	9
		50 यूनिट से अधिक	15
3.	उद्योग		9

टीप: उद्योग के अंतर्गत पावरलूम, आटा चक्कियां, आयल एक्सपेलर, थ्रेसर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी भी आती है.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	स्टोन क्रशर (गिट्टी, गिट्टा, बजरी)		9
5.	खानें		40
6.	अन्य श्रेणी, जो अनुक्रमांक 1 से 5 में नहीं है.		12
उच्चदाब उपभोक्ता			
7.	खानें		40
8.	सीमेंट उद्योग एवं सीमेंट उद्योग की बध्य खानें (केप्टिव माईन्स).		15
9.	स्टोन क्रशर (गिट्टी, गिट्टा, बजरी)		15
10.	अन्य उद्योग, जो अनुक्रमांक 7 से 9 में नहीं है		9
11.	अन्य श्रेणी के उपभोक्ता, जो अनुक्रमांक 7 से 10 में नहीं है.		15

परन्तु यदि किसी प्रयोजन के लिए उपभोग किए जाने के हेतु बेची विद्युत् यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी की सहमति के बिना, उपभोग के लिए या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन जिसके लिए कि शुल्क की कोई उच्चतर दर प्रभार्य है, उपभोग की जाने के हेतु या तो पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाती है, तो बेची गई या प्रदाय की गई सम्पूर्ण विद्युत् पर लागू उच्चतर दर प्रभार्य होगी.

भाग—ख

[देखिये धारा 3 (2)]

12.	राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यय से अभिप्राप्त विद्युत् के उपभोग के लिए.	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् प्रदाय की गई हो.

भाग—ग

[देखिये धारा 3 (3)]

13.	उत्पादन कंपनी, उत्पादक तथा केप्टिव उत्पादक संयंत्र द्वारा राज्य के अन्य किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत्.	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस उपभोक्ता को विद्युत् प्रदाय की गई हो.
14.	केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक या उत्पादन कंपनियों द्वारा उनके सहायक उपकरण (आक्जीलरी) के उपभोग के लिए तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु उपभुक्त विद्युत् के लिए.	टैरिफ का 12 प्रतिशत जो कि लागू होता यदि विद्युत्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई होती.

स्पष्टीकरणः—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए—

(क) ''मास'' से अभिप्रेत है, ऐसी कालावधि जो कि विहित की जाए और ऐसी कालावधि के विहित किए जाने तक, बिलिंग मास;

(ख) ''खान'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी खान जिसको खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) लागू होता है और उसके अन्तर्गत है किसी खान में स्थित या उससे लगा ऐसा परिसर या मशीनरी और जिसका उपयोग खनिज को चूरा करने (क्रशिंग), उसका प्रसंस्करण करने या उसका परिवहन करने के लिए किया जाता हो;

(ग) विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी और 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भाग को उसके अगले उच्चतर रुपयों तक पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा;

(घ) ''टैरिफ'' से अभिप्रेत है, ऊर्जा की प्रति यूनिट दर, जो कि उपभोग के विभिन्न प्रवर्गों के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर लागू की जाए;

(ङ) ''उपभोक्ता श्रेणी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ आदेश में यथापरिभाषित उपभोक्ता की श्रेणी;

टीप: उपभोक्ता अनुक्रमांक 13 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन से विद्युत् का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को, तृतीय पक्ष को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् पर और इस विद्युत् ऊर्जा के कैप्टिव उपभोग पर, नीचे दी गई सारणी में वर्णित कालावधि तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त होगी:—

सारणी

अ. क्र. (1)	नवकरणीय स्त्रोंत (2)	छूट की कालावधि (3)	शर्तें (4)
1.	सौर, विंड एवं बायोमॉस आधारित उत्पादन स्टेशन.	10 वर्ष	कॉलम (3) में यथा उल्लिखित छूट की कालावधि ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत् का उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से प्रारंभ होगी:
2.	लघु जल आधारित उत्पादन स्टेशन.	5 वर्ष	परन्तु यह छूट किसी विद्युत् वितरण अनुज्ञापत्र धारक/ व्यापार कंपनी/ फ्रैंचाइजी द्वारा किसी उत्पादक को आग्जीलरी उपभोग हेतु प्रदाय की गई विद्युत् पर लागू नहीं होगी: परन्तु यह और कि यह छूट केवल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जारी की गई नीतियों, अर्थात् मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति, 2011 मध्यप्रदेश में लघु जल विद्युत् आधारित परियोजना क्रियान्वयन नीति, 2011, पवन ऊर्जा परियोजना नीति, 2012, सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की क्रियान्वयन नीति-2012, में से किसी के अधीन स्थापित परियोजनाओं को उपलब्ध होगी.

परन्तु निरसित मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-1375-तेरह-2002, दिनांक 1 मार्च, 2002 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ-03-13-2007, दिनांक 24 मार्च 2007 के अधीन विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट का लाभ ले रहा कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट का लाभ प्राप्त करता रहेगा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016—श्रावण 14, शक 1938

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ-3-02-2011-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन करती है, जो पूर्व सूचना के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून, 2016 में प्रकाशित किए जा चुके हैं अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, भाग-क में, कॉलम (4) में अनुक्रमांक 4 के सामने अंक "9" के स्थान पर, अंक "12" स्थापित किया जाए.

No. F-03-02-2011-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby makes the following amendment in the Schedule to the said Act, the same having been published as previous notice in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th June, 2016, namely :—

AMENDMENT

In the said Act, in the Schedule, in Part-A, in column (4), against serial number 4, for the figure "9", the figure "12" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित — 2016.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2017

क्र. एफ-3-28-2014-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, भाग-ग में, टीप में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नवकरणीय स्रोत (2)	छूट की कालावधि (3)	शर्तें (4)
"3	मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2016 में अधिसूचित मध्यप्रदेश विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली नीति, 2016 (जो इसमें इसके पश्चात् नीति, 2016 के रूप में निर्दिष्ट हैं) के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली.	(एक): 10 वर्ष (दो) : नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के सम्पूर्ण जीवनकाल के लिए यदि नीति, 2016 में यथा परिभाषित नवीकरणीय ऊर्जा हिताधिकारी, निम्न दाब स्तर पर संबद्ध है.	कॉलम (3) में यथा उल्लिखित छूट की कालावधि, ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा विद्युत् के प्रदाय के प्रारंभ होने की तारीख से, नीति 2016 में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रारंभ होगी.".

(2) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F-3-28-2014-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government hereby, makes the following Amendment in the Schedule of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said Act in Schedule, in Part C, in note in table, after Serial Number 2 and entries relating thereto, the following Serial No. and entries relating thereto shall be added namely:—

TABLE

S. No. (1)	Renewable Source (2)	Period of exemption (3)	Conditions (4)
"3	Renewable Energy (RE) system registered & installed under Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016 notified in Madhya Pradesh Gazette on 4th October 2016 (hereinafter referred to as Policy, 2016).	(i) 10 years (ii) For Life Time of RE system, if RE Beneficiary, as defined in Policy, 2016 is connected at Low Tension (LT) level.	Period of exemption as mentioned in column (3) shall commence from the date of commencement of supply of electricity by such RE system subject to conditions laid down in the Policy, 2016".

(2) This notification shall come into force from date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव.